(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 694/.तीन/99 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24.3.99 के द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा, द्वारा के प्रकरण 6/अ–19 /91–92 अपील

.....

मनमोहन तनय जगन्नाथ साहू
निवासी–ग्राम मगडौर तहसील
त्यौथर जिला–रीवा म0प्र0

..... अवेदकगण

विरूद्ध

भगवानदस तनय राम कुमार
निवासी–ग्राम मगडौर तह0 त्यौथर
जिला–रीवा .....अनावेदक

.....

श्री धमेन्द्र चतुवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0अवस्थी, अभिभाषक,अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 02/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–03–1999 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959· (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि नायव तहसीलदार सर्किल जवा तहसील त्यौथर जिला–रीवा ने म0प्र0 कृषि प्रयोजनो के लिए उपयोग की जा रही दखल रहीत भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारो का प्रयोग किया जाना (विशेष उपवंध अधिनियम 1984) के उपबन्धो के अधीन आवेदन को विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया। इस आदेश के विरुद्व आवेदक मनमोहन ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी ने उसके चुनौती शुदा आदेश द्वारा नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया। इससे दुखित होकर भगवानदास द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 24.3.99 को स्वीकार की इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक भूमिहीन नहीं है वह सेवा में है अधीक्षक भू अभिलेख का प्रतिवेदन देखा जाय जवाव में आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक शासकीय सेवक नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तर्क किया कि अधिनियम 1984 के अन्तर्गत अपील का प्रावधान नहीं है इसलिए अपील में पारित उनका आदेश अधिकारिता विहीन है।

3– अभिलेख का अध्ययन किया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया निर्विवाद है कि नायव तहसीलदार ने म0प्र0 कृषि प्रयोजनो के लिए उपयोग की जा रही दखल रहीत भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपवंध कि अधिनियम 1984 के उपवंन्धो के अधीन आवेदक का भूमिस्वामी घोषित किया है, इसलिए इस मामले में विचारणीय मुद्दा यह है कि अधिनियम के उपबन्धो के अधीन अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सुनी जा सकती है। राजस्व मण्डल ने 1992 रे0 नि0 355 में यह व्यवस्था दी है कि :– अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमो के अधीन अपील पुनरीक्षण का उपवंध नही ऐसे आदेश नहीं ऐसे आदेश के विरुद्व उपखण्ड अधिकारी. के समक्ष अपील चलने योग्य नही है । म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण फाइल किया सकता है। इस प्रकार उक्त रुलिंग से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं है, ऐसी अपील में पारित आदेश अधिकारिता बिहीन है। अधिकारित बिहीन आदेश शून्यवत होता है एवं वह किसी समय किसी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है आयुक्त के आदेश

से मैं सहमत हूॅ। अतः आयुक्त रीवा के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझाता हूॅ। आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश उचित प्रतीत होता है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, द्वारा के प्रकरण 6/अ–19 /91–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.3.99 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर